वर्ष 3 अंक 4 अप्रैल 1981 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

बढ़ते दमन व बढ़ते संघर्ष

सीटू की कर्णाटक राज्य कमेटी का तीसरा सम्मेलन 5 व 6 मार्च को हरिहर में हुआ. इस अवसर पर बोलते हुए सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने कहा कि हमारे संगठन ने पिछले कुछ महीनों में जो सफलताएं प्राप्त की हैं वे आम मजदूरों व उनके नेताओं द्वारा किए गए परिश्रम व निस्वार्थ सेवा का ही परिणाम हैं. वे लोग जो सोचते हैं कि ट्रेड यूनियन आंदोलन एक आसान व आरामदेह आंदोलन हैं भारी भूल करते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन में काम करने वाले मजदूर कार्यकर्त्ता व नेता भली प्रकार जानते हैं कि संविधान द्वारा संगठन बनाने व उनका प्रचार करने के लिए दी गई तथाकथित आजादी के बावजूद उन्हें कितने विरोधों व परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

बंगलोर, हैदराबाद तथा अन्य स्थानों के सार्वजनिक संस्थानों के मजदूरों को, जो सरकार के साथ हुए समझौते के अंतर्गत मजदूरी बढ़ाए जाने के लिए हड़ताल पर गए थे, मुबारकबाद देते हुए सीटू अध्यक्ष ने कहा: "वे लोग जो पहले चुनाव में किए गए वायदे नियमित रूप से तोड़ते रहे हैं अब मजदूरों से किए गए लिखित समझौतों को भी तोड़ने लगे हैं."

तेजी से बढ़ता दमन

कांग्रेस (इ) सरकारों की श्रमनीतियों की चर्चा करते हुए बी. टी. रणदिवे ने कहा: "राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश—जो एमैंजेंसी के बदनाम मीसा का बदला हुआ रूप है—के बारे में सरकार बार-बार आश्वासन देती है कि इसे केवल समाजविरोधी तत्वों के खिलाफ इस्तेमाल में लाया जाएगा. किंतु इन तमाम आश्वासनों को नकारकर इसे बेशर्मी के साथ लोको कर्मचारियों व अन्य हड़तालियों के खिलाफ प्रयोग में लाया जा रहा है. कांग्रेस (इ) सरकार के तत्वाधान में बंगलोर में पुलिस ने हड़ताली मजदूरों पर गोली चलाई जिससे तीन मजदूर मारे गए. उत्तर प्रदेश सरकार प्रति माह अधिक से अधिक उद्योगों में हड़ताल करने पर पाबंदी लगा रही है. कांग्रेस (इ) शासित केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों द्वारा खुले रूप से सीटू यूनियनों के साथ भेदभाव किया जाता है व कांग्रेस (इ) समर्थित यूनियनों को मजदूरों पर थोपा जाता है. यूथ कांग्रेस (इ) के बिल्ले लगाए समाज-विरोधी तत्व मजदूरों को आतंकित करते फिरते हैं, बीमा अध्यादेश का जारी किया जाना मजदूर आंदोलन के खिलाफ एमैंजेंसी शासन की शुरूआत है".

मजदूरों के प्रति इंदिरा सरकार द्वारा अपनाए जा रहे दमनकारी व जिद्दी रुख का हवाला देते हुए सीटू अध्यक्ष ने कहा: "सरकार अब समझौतों व सामूहिक सौदेबाजी की पवित्रता को भी नकार रही है व एकतरफा रूप से मजदूरों पर मनमाने वेतन व सेवा-शर्तों को लाद रही है. यहां तक कि मजदूरों द्वारा न्याय पाने के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाना भी अब

बी. टी. रणदिवे

मजाक बना दिया गया है. बीमा अध्यादेश बीमा कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि तमाम मजदूर वर्ग के वेतनों व सेवा-शर्तों पर किए जाने वाले हमलों की शुरूआत है. हमले के पहले चरण में इसे केवल 'असाधारण' वेतन पाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ बताया जा रहा है किंतु बाद में यह हमला पूरे मजदूर वर्ग को अपनी लपेट में ले लेगा. ट्रेड यूनियन आंदोलन व संगठन बनाने के अधिकार पर अधिनायकवादी हमले आरंभ हो गए हैं. सरकार मांग कर रही है कि मजदूरों के वेतन व सेवाशर्तों को एकतरफा रूप से निर्धारित करने का उसे पूरा अधिकार हो व मजदूर वर्ग एक शक्तिविहीन काम करने की मशीन बन जाए. बीमा अध्यादेश का असली मतलब यह है भले ही इस समय इसे केवल बीमा कर्मचारियों तक ही सीमित बताया जा रहा हो. यह अध्यादेश जिस सिद्धांत को प्रतिपादित करता है व सरकार को जितने मनमाने अधिकार देता है उससे तमाम ट्रेड यूनियन अधिकार खतरे में पड़ गए हैं." सीटू अध्यक्ष ने कहा कि "सरकार राष्ट्रीय मजदूरी व वेतन नीति का निर्धारण करने के नाम पर महंगाई भत्ते पर सीमा थोपना चाहती है. इस प्रकार वह अपनी सरमायेदारपरस्त नीतियों से पैदा हो रहे आर्थिक संकट व दीवालियेपन का बोझ मजदूर वर्ग पर डालना चाहती है. मजदूर वर्ग को इन सरमायेदार-परस्त नीतियों व अधिनायकवादी दमन

का मुकाबला करने के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा."

छठी पंचवर्षीय योजना : एक खतरनाक दिशा

छठी योजना के मसौदे में लाखों एकड़ अतिरिक्त भूमि को अधिकार में लेकर भूमिहीनों में बांटने, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के जमाव (जिसके कारण 30 प्रतिशत भूमि 6 प्रतिशत परिवारों के पास है) को कम करने, किसान उत्पादक को उसके उत्पादन का सही मूल्य दिलवाने आदि जरूरी मुद्दों पर कोई वायदा नहीं किया गया है. इसके विपरीत इस योजना में खाद्यान्नों के विक्रय में दी जाने वाली सहायता (सबसिडी) को वापस ले लेने की बात कही गई है जिस कारण किसानों को मिलने वाली कीमत और भी कम हो जाएगी. इस प्रकार जहां एक ओर किसानों को उनकी उत्पादित वस्तुओं पर सही कीमत से वंचित किया जाएगा वहां दूसरी ओर आम आदमी के लिए खाद्यान्नों की कीमत बढ़ा दी जाएगी. रणदिवे ने कहा कि छठी पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज "एक खतरनाक दस्तावेज है जो कि योजना व विकास का बोझ आम आदमी के कंधों पर डालता हुआ एक भयंकर दिशा की ओर अग्रसर है."

सीटू अध्यक्ष ने मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि "वह किसानों पर किए जा रहे शोषण का विरोध करे, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए सही कीमत मिलने की मांग का समर्थन करें व भूस्वामियों व पूंजीपतियों पर बोझ डलवाकर किसानों को अधिक सहायता (सबसिडी) दिलवायें."

आम आदमी पर नए बोझ

योजना के दस्तावेज में 21,302 करोड़ रुपयों के बराबर अतिरिक्त साधन व 5,000 करोड़ रुपयों के आर्थिक घाटे को जुटाने का आह्वान किया गया है. इसमें से 21 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन आम आदमी पर नए कर लगाकर जुटाए जायेंगे. इस संदर्भ में सीटू अध्यक्ष ने कहा : "पूंजीपति भूस्वामी वर्गों के हितों की पोषक सरकार व उसके अर्थशास्त्री भारतीय एकाधिकारी घरानों व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर कोई अंकुश नहीं लगाना चाहते. विकास को प्रोत्साहन देने के नाम पर वे उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं व इनाम देने को तत्पर है. कालाबाजारियों व मुनाफाखोरों को दी जाने वाली रियायतों का नवीनतम उदाहरण धारक बांडों का जारी किया जाना है. विकास के नाम पर गरीब तबकों से वे अधिक से अधिक पैसा ऐंठना चाहते हैं." इस प्रयोजन से सरकार प्रत्यक्ष कर लगाने से कतराती है क्योंकि इसका सीधा असर बड़े पूंजीपतियों व भूस्वामियों पर होता है. घाटे की अर्थव्यवस्था में 5 हजार करोड़ रुपये उगाहने के लिए सरकार अप्रत्यक्ष करों का सहारा ले रही है जिसका असर मुख्य रूप से आम आदमी पर होता है.

खाद्यान्नों व अन्य जरूरी वस्तुओं पर दी जाने वाली सहायता को वापिस लेकर 3,500 करोड़ रुपये जुटाने की व्यवस्था की गई है. 1981 के रेलवे बजट में 320 करोड़ रुपये के नये कर लगाए गए हैं तथा रेलवे से कहा गया है कि वह योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपयों का अनुदान दे. इन आंकड़ों का हवाला देते हुए रणदिवे ने कहा : "यदि इन उपायों से भी घाटा पूरा नहीं होता तो और भी अधिक कर लगाए जाएंगे."

योजना का वर्ग चरित्र स्पष्ट

सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों, जिनमें से कई संस्थान घाटे पर चल रहे हैं, से आशा की जाती है कि वे 'कार्यकुशल प्रबंध व सही मूल्य नीति' अपनाकर योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये जुटाएं. इसमें संदेह नहीं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग अपनी कार्यकुशलता व क्षमता बढ़ाकर विकास में योगदान कर सकते हैं. किंतु सीटू अध्यक्ष के शब्दों में "यह तब तक संभव नहीं जब तक इन संस्थानों को शासित करने वाली भ्रष्ट व मजदूर-विरोधी अफसरशाही बनी रहती है. बंगलोर की हड़ताल ने यह दिखला दिया है कि इन संस्थानों के वर्तमान प्रबंधक मजदूर संगठनों के प्रति शत्रुता का रुख अपनाकर व मजदूरों के साथ किए समझौतों को ताड़कर उत्पादन-कार्य को रुकवा देते हैं··· सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन तभी बढ़ेगा जब इसके प्रबंधक अपनाए जा रहे मजदूर-विरोधी रुख को बदला जाए व इन्हें चलाने में मजदूरों को बराबर का भागीदार माना जाए··· संस्थानों में लगी पूंजी, कच्चा सामान, व्यापारिक सौदे तथा अन्य सारे तथ्य मजदूरों के प्रतिनिधियों के सामने रखे जाने चाहिए." उन्होंने कहा : "इस बारे में निजी मालिकों या सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है"

कोल इंडिया ने कोयले की कीमत में 20 रुपये प्रति टन की वृद्धि कर दी है. राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे आम आदमी पर अधिक से अधिक भार डालकर अतिरिक्त साधन जुटाएं. उन्हें बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर 3,500 करोड़ रुपयों का घाटा पूरा करना है. बस के भाड़ों को बढ़ाकर 1,378 करोड़ रुपये उगाहने हैं. सिंचाई पर लेवी बढ़ाकर 325 करोड़ रुपये वसूल करने हैं. आम आदमी पर बोझ डालकर साधन जुटाने की इस प्रक्रिया के बारे में बी. टी. रणदिवे ने कहा : "जरुरियात की आम वस्तुओं पर करों का भार बढ़ाने के साथ-साथ आधुनिक जीवन की सभी आवश्यकताएं— यातायात, बिजली, पानी, डाक रेल सेवा इत्यादि—इतनी महंगी बनाई जा रही हैं कि वे आम आदमी के बूते के बाहर हो रही हैं. किंतु इसी दौरान बड़े पूंजीपतियों व भूस्वामियों को प्रत्यक्ष करों से बचाया जा रहा है... छठी योजना में साधन जुटाने के लिए दिए जाने वाले प्रस्तावों का वर्गीय चरित्र इससे स्पष्ट है."

वास्तविक चरित्र

सरकार यह कहते नहीं थकती कि प्रस्तावित राष्ट्रीय आय व श्रम नीति का उद्देश्य विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक साधनों का बटवारा कर असमानता दूर करना व मजदूरों, किसानों व तबकों की आमदनी में वृद्धि करना है. इस संबंध में सीटू अध्यक्ष ने कहा : "यह तभी संभव है जब शोषक वर्ग के एकाधिकारों, मुनाफों व विशेषाधिकारों पर चोट की जाय. किंतु ऐसा करने के बजाय सरकार शोषित वर्ग की विभिन्न श्रेणियों की मजदूरी में विद्यमान मामूली अन्तरों को उछालती रहती है. मजदूरों की इन मामूली विभिन्नताओं को मुख्य मुद्दा बनाकर

सरकार व उसके योजनाशास्त्री शोषक वर्ग को बचा लेते हैं जबकि वास्तव में आर्थिक साधनों के बटवारे का काम शोषक वर्गों के स्तर पर होना चाहिए तथा इससे उनके आर्थिक हितों पर चोट लगनी चाहिए.

इस प्रकार श्रम नीति का असली प्रहार मजदूर वर्ग व उनकी आमदनी पर होने जा रहा है. इस नीति के तहत पहले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की कम आमदनी व रोजगार संभावनाओं की कमी पर घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं. फिर इसमें सुधार लाने के नाम पर संगठित क्षेत्र के मजदूरों की मजदूरी व सुविधाओं पर प्रहार किया जाता है जो उन्होंने दानपुण्य के रूप में नहीं बल्कि लम्बे संघर्षों व त्याग के बाद हासिल किए हैं.

वेतनमानों के 'रैशनलाइजेशन', जिसका वास्तविक अर्थ तनख्वाहों को कम करना है, की चर्चा करते हुए बी. टी. रणदिवे ने कहा "मजदूर जानते हैं कि उनकी मजदूरी व उत्पादकता के बीच बनाया गया वर्तमान संबंध उनके खिलाफ जाता है और उनकी जायज मजदूरी पर प्रहार करता है. अब तो योजनाशास्त्री मजदूरों को किसी प्रकार की वेतनवृद्धि देने को तब तक तैयार नहीं हैं जब तक वे काम के घंटे बढ़ाने तथा शोषण के अन्य तरीकों को स्वीकार नहीं करते."

निजी मालिकों तथा सरकार द्वारा बोनस सिद्धांत को समाप्त करने या इसे नाकारा बनाने, बोनस मिलने के लिए न्यूनतम वेतन की शर्त लगाने, महंगाई भत्ते की दर एकरफा रूप से थोपने, महंगाई भत्ते पर सीमा लगाने तथा हर प्रकार की वेतनवृद्धि का विरोध करने के प्रयत्नों का हवाला देते हुए रणदिवे ने कहा, "इन नापाक इरादों को पूरा करने के लिए सरकार एक-एक करके अपने सारे वायदे तोड़ रही है. पालेकर अवार्ड तथा सरकार द्वारा तोड़-मरोड़ करने के प्रयत्न सरकारी नीतियों का वास्तविक चरित्र उजागर करता है."

आत्मनिर्भरता खटाई में

छठी योजना 10 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता पर निर्भर है जो कि योजना पर होनेवाले कुल खर्च का 10 प्रतिशत है. विदेशी सहायता पर इस निर्भरता से निश्चय ही आम जनता व मजदूर वर्ग पर बोझ पड़ेगा व सारा देश पश्चिमी साम्राज्यवादियों के चंगुल में फंस जाएगा. बी. टी. आर. ने कहा, "इस प्रकार योजना दस्तावेज आत्मनिर्भरता के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य का मजाक उड़ाता है." रणदिवे ने विदेशी ऋणों पर बढ़ती जा रही निर्भरता से आनेवाले खतरे की ओर मजदूर वर्ग का ध्यान दिलाया व कहा कि सरकार इस खतरे के प्रति सचेत होने के बजाय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश के साधनों का शोषण करने व मंडियों पर अधिकार करने की पूरी स्वतंत्रता देती है. विश्व बैंक सदा से ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा की जा रही घुसपैठ का समर्थन करता रहा है.

ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता

रणदिवे ने कहा कि अन्य पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था की भांति भारत की अर्थव्यवस्था भी आर्थिक संकट में फंसी हुई है. छठी योजना का दस्तावेज इस संकट को आम आदमी के कंधे पर डालना चाहता है. परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग व आम जनता पर हमलों में तेजी आना स्वाभाविक है. उन्होंने आह्वान किया, "इन हमलों का जवाब तमाम मजदूर वर्ग ने मिलकर देना है....यह समस्या एक विशेष उद्योग या एक विशेष नीति की नहीं है. यह समस्या सरकार द्वारा पूरे मजदूर वर्ग के प्रति अपनाए जा रहे रुख की है." इस संदर्भ में रणदिवे ने सभी केंद्रीय मजदूर संगठनों के एक महासंघ बनाये जाने के सीटू के आह्वान को दोहराया.

काम का अधिकार

छठी योजना के अनुसार एक दिन में ग्रामीण व शहरी बेरोजगारी 21 मिलियन हैं. किंतु वास्तविकता तो इससे भी भयंकर है. इस सवाल पर बी. टी. रणदिवे ने कहा : 'यह संतोष का विषय है कि पश्चिम बंगाल की वामपंथी मोर्चा सरकार व केरल की वामपंथी-जनवादी सरकार ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना आरंभ कर दिया है. सभी यूनियनों का यह कर्त्तव्य है कि सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की मांग का समर्थन करें. उन्हें काम के अधिकार को संविधान में मूलभूत अधिकारों की सूची में शामिल किए जाने की मांग भी करनी चाहिये.

कामगार महिलायें

कामगार महिलाओं की समस्याओं के बारे में सीटू अध्यक्ष ने कहा : "अन्य पूंजीवादी देशों की भांति भारत में भी आर्थिक संकट का असर विशेष रूप से महिलाओं पर पड़ रहा है. छंटनी का प्रहार सबसे पहले उनपर होता है." रणदिवे ने जोर देकर कहा कि यूनियनों को चाहिए कि वे कामगार महिलाओं को आंदोलन में शामिल करें व यूनियन की गतिविधियों में उन्हें जिम्मेदारी निभाने व नेतृत्व प्रदान करने का पूरा मौका दे.

जनवादी व क्रांतिकारी शक्ति

जनता के अन्य वर्गों द्वारा किए जा रहे संघर्षों का हवाला देते हुए बी.टी रणदिवे ने कहा: "मजदूरों, खेतिहर मजदूरों व किसानों का मिला-जुला मोर्चा भारत में सशक्त जनवादी व क्रांतिकारी शक्ति के रूप में उभरकर आने की सामर्थ्य रखता है. यह एक ऐसी ताकत होगी जिसके आगे शोषक वर्गों की कोई सरकार नहीं टिक सकती. मजदूर वर्ग को किसानों की फौरी मांगों को पूरा समर्थन देकर इस प्रकार के गठबंधन के बनाने में पूरा सहयोग देना चाहिए. मजदूर वर्ग को यह समझना चाहिए कि तब तक शोषण पर आधारित व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती तथा समाजवाद नहीं आ सकता जब तक कि वर्तमान शासक वर्गों को न हटाया जाए और सही जनवाद का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार की स्थापना न की जाए. यह तब तक संभव नहीं है जब तक मजदूर वर्ग विशाल किसान शक्ति का सहयोग लेने में समर्थ नहीं होता.

गौरवपूर्ण उदाहरण

इंदिरा सरकार ने जनता को दबाने के लिए नए हथकंडे तैयार कर रखे हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के बाद अब

न्यायपालिका की शक्ति को कम किये जाने के प्रयत्न हो रहे हैं. न्यायपालिका पर हमला देश में संसदीय जनतंत्र को समाप्त करने व राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने की दिशा में एक कदम है. सीटू अध्यक्ष ने कहा कि "जनवादी अधिकारों व नागरिक स्वतंत्रताओं पर होने वाले इन हमलों की पृष्ठभूमि में पश्चिम बंगाल, केरल व त्रिपुरा की सरकारों ने गौरवपूर्ण मिसालें कायम की हैं. इन सरकारों ने सदा आम जनता के हितों की रक्षा की है, जनवादी अधिकारों को बचाया है व आर्थिक संघर्षों में शोषित वर्गों का साथ दिया है."

साम्राज्यवादी मंसूबे

विघटनकारी शक्तियां देश की एकता व जन आंदोलनों को तोड़ने की कोशिशें कर रही हैं. ये शक्तियां साम्प्रदायिक झगड़े भड़का रही हैं जिनमें मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारी नुक्सान उठाना पड़ रहा है. हरिजनों के विरुद्ध जातिवादी भावनाएं फैलाई जा रही हैं. जन आंदोलनों को तोड़ने के लिए उन्नत जातियों व पिछड़ी जातियों के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है. असम की जनता के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है जिससे खिन्न होकर वह अब पृथकतावादी तत्वों का शिकार बन रही है. अमरीकी साम्राज्यवादी इस पृथकतावादी आंदोलन को चोरी-छिपे सहायता देकर देश को विभाजित करने के मंसूबे बना रहे हैं. इन उभरते खतरों को इंगित करते हुए बी. टी. रणदिवे ने कहा : "यदि देश की एकता खतरे में पड़ती है तो आजादी भी बरकरार नहीं रह सकती. मजदूर वर्ग का यह कर्त्तव्य है कि वह अन्य जनवादी शक्तियों के साथ मिलकर देश की एकता व अखंडता की रक्षा करें."

निरंतर बिगड़ती अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में सीटू अध्यक्ष ने कहा कि अमरीकी जंगबाज विश्व शांति को भंग करने के इरादे से हथियारों के भंडार बना रहे हैं. उन्होंने भारतीय महासागर में अमरीकी जलसेना की उपस्थिति व पाकिस्तान को अमरीका द्वारा हथियारों से लैस किए जाने पर चिंता व्यक्त की.

सीटू अध्यक्ष ने आह्वान किया कि "मजदूर वर्ग को देश के विरुद्ध किए जा रहे साम्राज्यवादी मंसूबों के प्रति देश की जनता को सचेत करना चाहिए. इन मंसूबों का पर्दाफाश करने, विश्व शांति के लिए संघर्ष करने तथा अधिनायकवादी शासन व इसकी नीतियों को हटाने के लिए हमारी यूनियनों को मजदूरों का रक्षा करनी होगी तथा शोषण व अधिनायकवाद के खिलाफ व अच्छे जीवन के लिए किए जा रहे संघर्षों में अन्य वर्गों का साथ देना होगा." □

कर्नाटक सीटू का तीसरा सम्मेलन

सीटू की कर्नाटक राज्य कमेटी की तीसरी कानफ्रेंस 5-8 मार्च को हरिहर में संपन्न हुई. 65 यूनियनों के 46,444 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 174 प्रतिनिधियों तथा 88 प्रेक्षकों ने इसमें भाग लिया.

सीटू अध्यक्ष, बी. टी. रणदिवे ने कानफ्रेंस का उद्घाटन किया और कर्नाटक सीटू के अध्यक्ष एस. सूर्यनारायण राव ने सीटू के झंडे को फहराया, कर्नाटक सीटू के महासचिव नजुंदप्पा ने कर्नाटक में दूसरी कानफ्रेंस के बाद की एकता और संघर्ष की सीटू की नीति का ब्योरा दिया.

सीटू के उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ज्योति बसु ने 8 मार्च को कानफ्रेंस को संबोधित किया. उन्होंने पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और तानशाही के बढ़ते खतरे के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने शोषित लोगों को संगठित करने का प्रतिनिधियों का आह्वान किया.

कानफ्रेंस में कीमत-वृद्धि, पुलिस दमन, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जीवन-बीमा निगम अध्यादेश के खिलाफ तथा बागान, बीड़ी तथा टैक्सटाइल मजदूरों की मांगों के समर्थन में अनेक प्रस्ताव अपनाए गए.

कानफ्रेंस ने, एस. सूर्यनारायण राव, अध्यक्ष तथा सी नजुंदप्पा, महासचिव सहित 85 सदस्यों की एक स्टेट काउंसिल चुनी.

कानफ्रेंस के अंत में एक आम सभा आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता एस सूर्यनारायण राव ने की और ज्योति बसु तथा अन्यों ने इसको संबोधित किया. □

'सीटू मजदूर' का मई दिवस विशेषांक

विशेष आकर्षण :

1. मई दिवस का इतिहास.
2. सीटू का मई दिवस घोषणापत्र.
3. पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की वाम-मोर्चा सरकारों की उपलब्धियां.
4. केरल की वामपंथी और जनवादी सरकार की उपलब्धियां.
5. इन सरकारों की मजदूर-किसान समर्थक नीतियों को लोकप्रिय करने में मजदूर वर्ग की भूमिका.
6. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल के मुख्यमंत्रियों के लेख.
7. सीटू के प्रख्यात नेताओं द्वारा अन्य विशेष लेख.
8. वर्तमान हालात पर लेख.
9. कानूनी लेख.
10. आम समाचार.

मूल्य : एक रुपया

पृष्ठ : 68 (सामान्य पत्रिका से 4 गुना ज्यादा)

पत्रिका के लिए अपने आर्डर तुरंत भेजे.

वार्षिक ग्राहकों से अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी.

पता :

मैनेजर,
सीटू मजदूर, 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

पूंजीवादी हमलों के खिलाफ एकजुट संघर्षों के लिए सीटू द्वारा आह्वान

सीटू सेक्रेटेरियट ने, 18 मार्च को नई दिल्ली में हुई एक बैठक में, केंद्रीय सरकार द्वारा मजदूर वर्ग पर बढ़ते आक्रमणों पर जिससे संगठन की स्वतंत्रता व सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर आघात लगा है, गहरा शोक प्रकट किया है. सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने बैठक की अध्यक्षता की.

बैठक ने, सीटू उपाध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान सभा सदस्य और फारवर्ड ब्लाक (मार्क्सवादी) के नेता कामरेड सुहृद मल्लिक चौधरी की असामयिक मृत्यु पर हार्दिक सहानुभूति व्यक्त की.

बैठक ने, बंगलोर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के मजदूरों को उनकी 77 दिन की शानदार हड़ताल पर बधाई दी. काफी कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने जबरदस्त संघर्ष किए और सरकार को यह दिखा दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी सरकार के हमलों को अनदेखा नहीं होने देंगे. सीटू ने, देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के 15 लाख कर्मचारियों को उनकी 11मार्च को हुई हड़ताल पर, जो मजदूर वर्ग के साथ बिरादराना संबंधों का एक प्रभावशाली प्रदर्शन था, बधाई दी. सीटू को पूरा विश्वास है कि मजदूरों के जीवन-स्तरों पर होने वाले पूंजीवादी हमलों के खिलाफ विस्तृत संघर्ष करने के लिए हड़ताल के दौरान हासिल हुई एकता, आगे और मजबूती पकड़ेगी. सीटू केंद्रीय सरकार के बंगलोर स्थित उद्योगों के कर्मचारियों के साथ हुए समझौतों को अमल में न लाने के रवैये की कड़ी आलोचना करती है और इनके साथ हुए समझौतों को लागू करने व अपना रवैया बदलने की मांग करती है.

सीटू ने जीवन बीमा निगम और जी आई सी कर्मचारियों को एल आइ सी कानून और जी आई सी गजट नोटिफिकेशन के खिलाफ किए गए निर्भीक संघर्षों के लिए बधाई दी. इन दोनों उद्यमों में सरकार ने पूर्व समझौते और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अवैध कर दिया था. सीटू ने एल आई सी यूनियनों द्वारा २ अप्रैल से अनिश्चित-कालीन हड़ताल करने के निर्णय का पूरा समर्थन किया हैं और उनकी मांगें हासिल होने तक उनके साथ बिरादराना संबंध रखने का आश्वासन दिया है.

समूचे देश के संघर्षरत लोको रनिंग स्टाफ के साथ रेल मंत्रालय के दंडात्मक रवैये की कोई दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है. हजारों मजदूरों को मुअत्तिल किया गया जबकि 500 से ज्यादा को जबरदस्ती सेवा-निवृत्त किया गया और इतनों को ही नौकरी से निकाल दिया गया. लोको रनिंग स्टाफ के परिवार के सदस्यों तक को इन हमलावर कदमों से नहीं छोड़ा गया. सीटू इन सभी कार्यवाहियों के फौरी खात्मे की और आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन को दिए गए आश्वासनों को पूरी तरह से लागू करने की मांग करती है.

सीटू, टाटा मालिकान द्वारा जमशेदपुर के टिस्को ठेका मजदूरों की समस्याओं के साथ निर्दयतापूर्ण रुख अपनाने की कड़ी आलोचना करती है. हालांकि 11 फरवरी से 10 हजार ठेका मजदूर हड़ताल पर हैं लेकिन मालिकान ने बिहार पुलिस की सहायता से 400 संघर्षरत मजदूर व नेताओं को गिरफ्तार किया. टिस्को कर्मचारी यूनियन की पूरी कार्यकारिणी समिति को मुअत्तिल कर दिया गया है और मजदूरों को भयभीत किया जा रहा है. टिस्को के ठेका मजदूर स्थाई और नियमित नौकरी की मांग कर रहे थे. इस संघर्ष ने एक बार फिर साबित कर दिखाया कि टाटा जैसे बड़े घरानों का केंद्र और बिहार राज्य सरकार पर कितना ज्यादा प्रभाव है.

सीटू सेक्रेटेरियट ने हरियाणा में भजनलाल मंत्रालय द्वारा मजदूरों के ट्रेड यूनियन और जनवादी अधिकारों के दमन पर भी अपना रोष प्रकट किया. सभी मसलों पर सरकार बेशर्मी के साथ मालिकान का साथ देती है और मजदूरों के संघर्षों पर निर्दयतापूर्ण हमले करने के लिए हरियाणा पुलिस खुले आम मालिकान की मदद करती है. सीटू ने राज्य में इस दमनात्मक नीति के खात्मे की और ट्रेड यूनियन कार्यवाहियों को सुचारू रुप से चलाने के लिए ट्रेड यूनियन और जनवादी अधिकारों की गारंटी देने की, मांग की है.

सीटू ने कांग्रेस (आई) सरकार द्वारा ट्रेड यूनियन आंदोलन में, इंटक यूनियनों को जिनका मजदूरों में कोई प्रभाव नहीं है संरक्षण देकर सरेआम दखलंदाजी करने पर रोष प्रकट किया है. यह रवैया तो खासतौर से उत्तर प्रदेश में गंभीर है. रामपुर की रजा टैक्सटाइल में साढ़े तीन महीने से हड़ताल जारी है लेकिन मालिकान मजदूरों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने से इकार करते हैं. कानपुर की जे. के. रेयान के मालिकान को उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पमत इंटक की यूनियन के साथ समझौता करने के लिए बाध्य किया जबकि सीटू को मजदूरों का भारी बहुमत प्राप्त था.

सीटू सेक्रेटेरियर ने बंगलोर स्थित माइको वर्कर्स यूनियन दफ्तर पर कांग्रेस (आई) के गुंडों द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने की कड़ी अलोचना की है. सीटू ने बंगलोर में, केरल और तमिलनाडु के मजदूरों के खिलाफ प्रचार करने पर भी गहरा रोष प्रकट किया. गुंडु राव सरकार इन तत्वों को अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करके अनदेखा कर रही है. यदि ट्रेड यूनियन आंदोलन इन षडयंत्रों को असफल करने में नाकामयाब रहा तो ये घटनाएं देश के लिए भयंकर साबित हो सकती हैं.

सेक्रेटेरियट ने कांग्रेस (आई) सरकार के मजदूरों पर वेतन जाम और करों का बोझ लादने की नीतियों के

[शेष पृष्ठ सात पर]

सिरसा में प्रबंधकों के गुंडों द्वारा मजदूरों पर गोली चलाने की सीटू द्वारा निंदा

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 23 मार्च को निम्नलिखित बयान जारी किया.

सिरसा की गोपीचंद टैक्सटाइल मिल के प्रबंधकों के किराये के गुंडों द्वारा 19 मार्च की रात 9 बजे मजदूरों पर हमले तथा गोलाबारी की सीटू कड़ी निंदा करती है. यह हकीकत है कि पिछले दो दशकों से इस मिल में कोई भी पंजीकृत ट्रेड यूनियन नहीं थी और कि सीटू द्वारा यूनियन बनाने के प्रयत्न के कुछ दिनों बाद ही यह हमला हुआ है और प्रबधकों द्वारा हमलों को मजदूरों के दो गुटों में लड़ाई कहने के समूचे गलत प्रचार का पर्दाफाश करता है.

वास्तविकता यह है कि इस मिल के लगभग 1300 मजदूरों को कोई ट्रेड यूनियन बनाने के मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं और संगठन बनाने के सभी प्रयत्नों को पुलिस की सहायता से प्रबंधकों के गुंडों द्वारा मिट्टी में मिला दिए जाते थे. 19 मार्च की रात को, किराये के गुंडों ने मजदूरों पर गोली-बारी की और 19 मजदूरों को घायल किया. इस हमले से पहले ही मजदूरों ने यह नोट किया था कि प्रबंधक कुछ गुंडे लाए हैं और उन्हें शराब और दावत दी जा रही है और उन्हें हमले की आशंका हुई. पुलिस को इसकी सूचना भी दे दी गयी थी लेकिन पुलिस हरकत में नहीं आई. गोलीबारी के बाद भी जब गुंडों की गोलियां खत्म हो गई तो मजदूरों ने उन्हें घेर लिया लेकिन पुलिस ने उनकी मदद की और एक को छोड़कर सारे गुंडे भाग गए जिससे भजनलाल सरकार की पुलिस का रवैया स्पष्ट हो जाता है जो हरियाणा में मजदूरों व किसानों के सभी आंदोलनों का दमन कर रही है.

सीटू प्रबंधकों समेत तमाम गुंडों की गिरफ्तारी, घायलों को पर्याप्त मुआवजा देने और मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के जरिए मजदूरों की मांगें तय करने की मांग करती है.

सीटू प्रबंधकों के निर्दयी हमलों के बावजूद संघर्ष करने पर मजदूरों को बधाई देती है और उनकी जायज मांगों के लिए पूरा समर्थन करती है. □

रेल समाचार

लोको कर्मचारियों को कानूनी सहायता

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 14 मार्च को एक सरकुलर जारी करके सीटू की सभी राज्य कमेटियों से अनुरोध किया है कि वे लोकोकर्मियों के लिए कानूनी सहायता का प्रबंध करें. सरकुलर इस प्रकार है :

भारत सरकार ने लोकोकर्मियों का उनके हाल ही के आंदोलन के कारण भारी दमन किया है. रेल मंत्री ने घोषणा की है कि रिटायरमैंट की आयु होने से पहले ही 524 कर्मचारियों को अनिवार्यता रिटायर कर दिया गया है, और रेल मजदूरों के अनुशासन व अपील नियमों के नियम 14 (ii) के तहत अपने पक्ष में कहने का मौका दिए बिना 526 कर्मचारियों को सीधे-सीधे बर्खास्त कर दिया गया है. ये कार्यवहियां जो मनमाने ढंग से और बदले की भवना से की गई हैं बिलकुल गैर कानूनी हैं. कुछ मामलों में इस तरह विक्टिमाइज किए गए कर्मचारियों को पुलिस की सहायता से रेलवे क्वार्टरों से निकाल दिया गया है और उनके परिवार के सदस्यों व सामान को सड़क पर फेंक दिया ताकि रेलवे मजदूरों के इस लडाकू हिस्से के दिलों में डर पैदा किया जा सके.

यह समझा जाता है कि आल इंडिया लोकोरनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने विक्टिमाइज किए गए कर्मचारियों को पहले ही यह निर्देश दिया है कि वे विक्टिमाइजेशन के खिलाफ अदालती कार्यवाही करें और 6 मार्च को 8 मामले अनिवार्य रिटायरमैंट के खिलाफ और 8 सीधे सीधे बर्खास्त किए जाने के खिलाफ दायर कर दिए गए हैं. कलकत्ता हाई कोर्ट ने अनिवार्य रिटायरमेंट के खिलाफ अंतरिम इंजक्शन दे दी है और मनमाने ढंग से निकाले या बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को उनके मामले पर फैसला होने तक वेतन देने के लिए निदेश जारी किए हैं. आम राय यह है कि इन आदेशों के खिलाफ कानूनी अदालतों में सफलता प्राप्त की जा सकती है.

मैं इसलिए आपसे यह अनुरोध करता हूं कि लोकोकर्मियों के लिए कानूनी सहायता जुटाई जाये ताकि इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा दमन की कोशिशों के खिलाफ सफलता के साथ लड़ा जा सके.

[शेष पृष्ठ बारह पर]

क्या यह सभ्य प्रशासन का काम है ?

लोको कर्मचारियों के संघर्ष के दौरान कई अस्थायी और आकस्मिक रेलवे मजदूरों को ये नोटिस जारी किए गए कि यदि 12 घटों के अंदर अंदर उनके पिता काम पर नहीं लौटते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा. 24 मजदूरों के नाम इस तरह काट दिए गए. रेलवे बजट की ग्रांट पर 17 मार्च को बोलते हुए सोमनाथ चटर्जी, एम. पी., ने पूछा कि क्या यह एक सभ्य प्रशासन का काम है. रेल मंत्री ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया. इस प्रकार गैरकानूनी ढंग से निकाले गए 7 मजदूरों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में मामले दायर कर दिए हैं और इन मामलों में उनको स्थगन आदेश मिल गए हैं. □

सरकार की श्रमविरोधी नीति के खिलाफ एकजुट आंदोलन मजबूत करने का आह्वान

केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक 23 मार्च को नई दिल्ली में एटक के महासचिव इंद्रजीत गुप्ता, एम पी, की अध्यक्षता में संपन्न हुई. जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया उनमें सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति, एम. पी., एच. एम. एस. के महासचिव शांति पटेल, एम. पी., बी. एम. एस. के संगठन सचिव बी. एन. साठे, यू. टी. यू. सी. (ले. स.) के महासचिव प्रितिश चद्रा, इंटक के अध्यक्ष जे. एस. दास, अमल चक्रवर्ती (टी. यू. सी. सी.), ए. आई. आर. एफ. के महासचिव जे. पी. चौबे, ए. आई. डी. ई. एफ के अध्यक्ष एस. एम· बनर्जी शामिल थे.

बैठक में मजदूर वर्ग पर, उसके जीवन स्तर व ट्रेड युनियन अधिकारों पर और कामकाजी लोगों पर सरकार द्वारा किए जाने वाले लगातार बढ़ रहे दमन पर गहरी चिंता व्यक्त की गई.

इसने इस बात को भी नोट किया कि मजदूरवर्ग और श्रमजीवी जन इन हमलों का प्रतिरोध पहले की तुलना में अधिक मजबूती व दृढ़ निश्चय के साथ कर रहे हैं. मजदूर वर्ग में इस हमले के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की भावना भी तेजी से फैल रही है.

बैठक में बंगलोर स्थित पब्लिक सेक्टर के व उनकी हैदराबाद, नासिक कलामासीरी व अन्य स्थानों की यूनिटों के 1,25,000 कर्मचारियों की भारी दमन के बावजूद चलाई गई 80 दिन की एकजुट हड़ताल पर बधाई दी.

इसने समूचे देश के पब्लिक सैक्टर के कर्मचारियों का बंगलोर-स्थित पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों, रेलकर्मियों, जीवन बीमा व जनरल बीमा के कर्मचारियों के संघर्ष के साथ एकजुटता का इजहार करने के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों के आह्वान पर 11 मार्च को एक दिवसीय हड़ताल को सफल करने के लिए बधाई दी.

बैठक ने समूचे मजदूरवर्ग का आह्वान किया कि वह जीवन बीमा कर्मचारियों का जो 2 अप्रैल से हड़ताल पर जा रहे हैं समर्थन करें व उनके साथ एकजुटता जाहिर करें.

बैठक ने यह भी नोट किया कि ये हमले इस स्तर के हो गए हैं कि सरकार अब एक तरफा ही कर्मचारियों के साथ किए गए समझौतों को तोड़ने लगी है और यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट सरकार की इन कार्यवाहियों को खारिज कर देती है तो यह बेशर्मी के साथ अध्यादेशों और अधिनियमों का सहारा लेती है और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को ताक पर रख देती है. बदनाम औद्योगिक संबंध विधेयक, जिसका समूचे मजदूर वर्ग ने विरोध किया था, उसके मजदूर-विरोधी प्रावधानों को लागू करने के लिए योजना बनायी जा रही है.

बैठक ने इस बात को नोट किया कि ये हमले सरकार के देश को गहरे आर्थिक संकट से बाहर निकालने में अयोग्य होने के कारण हो रहे हैं और इससे मंडियां छोटी हो रही हैं, कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं, और बेरोजगारी आसमान चूम रही है. ये परिणाम सरकार की आर्थिक और वित्तीय नीतियों के हैं जो किसानों को उपयुक्त दाम देने, खेतिहर मजदूरों व अन्य कामकाजी लोगों को न्यूनतम वेतन देने से इंकार करती है लेकिन दूसरी तरफ एकाधिकारी पूंजीपतियों और उनके विदेशी सहयोगियों, जमाखोरों, कालाबाजारियों आदि को उन्हें बड़ी ही क्रूरता के साथ लूटने देती है.

यह कहना यह चाहती है कि ऊंची कीमतें संगठित क्षेत्र में ऊंचे वेतनों के कारण हैं जबकि असलियत यह है कि वास्तविक वेतन गिरते जा रहे हैं.

इसलिए बैठक में यह तय किया गया कि बम्बई में जून के पहले सप्ताह में कीमत वृद्धि और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एक राष्ट्रीय कनवेंशन आयोजित किया जाए. बैठक ने भूतपूर्व राष्ट्रीय प्रचार समिति को यह अधिकार दिया कि वह सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय समन्वय समिमि का काम करे. इसने बम्बई की सभी संबद्धताओं की ट्रेड यूनियनों को यह अधिकार दिया कि वे कनवेंशन को एक महान सफलता देने के लिए स्वागत समिनि का गठन करें.

इस बैठक ने मजदूर वर्ग का इन नीतियों के खिलाफ तब तक एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए आह्वान किया जब तक इन्हें वापस नहीं लिया जाता. इसने सभी संबद्धताओं की सभी यूनियनों से यह अपील की कि वे इस शक्तिशाली संघर्ष की मुख्यधारा में शामिल हों. □

सीटू सेक्रेटेरियट की बैठक

[पृष्ठ पांच से आगे]

खिलाफ मजदूर वर्ग को चेतावनी दी· छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान उनके जीवन-स्तर पर भयंकर हमला किया जाएगा. सीटू का विचार है कि इन हमलों का प्रभावशाली मुकाबला केवल एकजुट आंदोलन द्वारा ही किया जा सकता है.

सेक्रेटेरियट ने ट्रेड यूनियन आंदोलन में बढ़ती एकता का स्वागत किया है और आने वाले समय में पूंजीवादी वर्ग की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एकता को और मजबूत करने की आशा व्यक्त की है. □

सार्वजनिक उद्योगों में 11 मार्च को शानदार हड़ताल

एच एम टी, ई सी आई एल, बी ई एम एल, आई टी आई, मिधानी, बी ई एल, भारत डायनामिक्स आदि बंगलोर स्थित उद्योगों के 1,25,000 संघर्षरत मजदूरों के साथ बिरादराना समर्थन के लिए समूचे देश के सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों ने 11 मार्च को एल आई सी कानून तथा जी आई सी का गजट नोटिफिकेशन, लोको रनिंग स्टाफ को जबरदस्ती सेवा-निवृत्त या बर्खास्त करने तथा मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों के खिलाफ एक जबरदस्त हड़ताल का प्रदर्शन किया.

इंटक के अलावा सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से हड़ताल का आह्वान किया था. अनेक औद्योगिक फेडरेशनों ने इस अपील का जबरदस्त जवाब दिया और सरकार की मजदूर-वर्ग विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के अपने निश्चय का इजहार किया. समय की कमी तथा अपर्याप्त तैयारियों के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र मजदूरों का सामूहिक जवाब शानदार रहा.

हड़ताल के लिए अच्छा माहोल बनाने के लिए केंद्रीय ट्रड यूनियनों तथा फेडरेशनों ने 27 फरवरी को प्रधान मंत्री के घर के बाहर एक धरना आयोजित किया जिसमें अनेक सांसदों ने भी भाग लिया. इस रिपोर्ट में ऊपर लिखित मांगों के समर्थन में एक संयुक्त मांग पत्र प्रधान मंत्री को पेश किया गया. इसी दिन कलकत्ता में एक रंग-बिरंगा जुलूस आयोजित किया गया जिसमें औद्योगिक मजदूरों, आफिस कर्मचारियों, राज्य तथा केंद्र सरकार कर्मचारियों ने बड़ी तादात में संयुक्त रूप से भाग लिया.

3 मार्च को देश भर में 11 मार्च की हड़ताल के समर्थन में संयुक्त प्रदर्शन तथा रैलियां आयोजित की गई. बड़ी संख्या में पर्चे तथा पोस्टर भी जारी किए गए.

जब एक दिन की हड़ताल का समय करीब आने लगा तब मजदूरों में भ्रामकता पैदा करने के लिए सरकार ने कई प्रयत्न किए. एच एम टी फैक्ट्री में इंटक के नेताओं पर दबाव डालकर सरकार ने उस यूनिट से हड़ताल को खत्म करने के प्रयत्न किए. इंटक नेताओं द्वारा मक्कारी करने के बावजूद भी मजदूर अटल रहे और केवल गिने-चुने मजदूर ही काम पर गए. बंगलोर शहर में आंतक का वातावरण फैलाने के लिए इंटक के गुंडों ने हड़ताल का नेतृत्व करने वाले ट्रेड यूनियन नेताओं पर हमले किए. लेकिन इन गुंडों के इरादे गलत साबित हुए और इसने मजदूरों के इरादों को और मजबूती प्रदान की.

बंगलोर की हड़ताल को असफल करार देने के लिए प्रेस ने कई प्रयत्न किए जिससे अखिल भारतीय हड़ताल की तैयारियों में बाधा पड़े. लेकिन इस प्रकार के प्रचार भी नाकाम रहे.

इन आम लोगों के समर्थन में अनेक स्थानीय तथा राज्य स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए गए. 20 फरवरी को बंबई में हुए एक संयुक्त सम्मेलन में इन मांगों का समर्थन किया और 22 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा कार्यवाही करने में भाग लेने का निर्णय भी लिया गया.

25 फरवरी को हैदराबाद में आंध्र राज्य सम्मेलन हुआ जिसमें दिल्ली की बैठक में अपनाए गए प्रस्तावों जैसे ही प्रस्ताव अपनाए गए. सम्मेलन ने राज्य के सारे मजदूर वर्ग को 11 मार्च को काम ठप्प करने का आह्वान किया.

7 मार्च को बिहार ट्रेड यूनियन कनवेंशन पटना में हुआ जिसमें एक दिन की हड़ताल के आह्वान का समर्थन किया गया.

शहरी स्तर पर स्थानीय यूनियनों ने बैठकें आयोजित की और हड़ताल के लिए एकजुट आह्वान किए. हालांकि दिल्ली की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की कुछ स्थानीय यूनियनों ने कुछ जगहों पर हड़ताल के आह्वान का जवाब नहीं दिया लेकिन सभी ट्रेड यूनियनों के निचले स्तर के लोगों ने काफी मात्रा में हड़ताल की तैयारियों में भाग लिया.

इंटक अध्यक्ष, एन. के. भट्ट ने हड़ताल का विरोध किया और आम तौर पर इंटक यूनियनों ने हड़ताल में भाग नहीं लिया. कुछ स्थानों पर इंटक के स्थानीय नेताओं ने हड़ताल का विरोध करने के लिए हमलावर रवैया अपनाए. लेकिन कुछ स्थानों पर इंटक यूनियनों ने हड़ताल की तैयारियों में कोई बाधा नहीं डाली.

बैंक, एल आई सी और जनरल इंशोरेंस में सब जगह हड़ताल पूरी रही और पश्चिम बंगाल की बैंक एंप्लाईज फेडरेशन ने हड़ताल का समर्थन किया. एल आई सी और जी आई सी की सभी यूनियनों ने एकजुट होकर हड़ताल में सहयोग किया.

पश्चिम बंगाल में हड़ताल शानदार रही और यहां तक कि प्रेस रिपोर्ट ने भी इसे "तकरीबन पूरी" करार दिया. सीटू की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी ने हड़ताल के लिए खास तैयारियां की और सार्वजनिक क्षेत्र की सभी यूनियनों को हड़ताल को कामयाब करने के लिए अपना अधिकतम सहयोग देने के निर्देश दिए. कोयला खदानों में एक लाख 79 हजार मजदूरों में से एक लाख 55 हजार से भी ज्यादा मजदूरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया. जे. के. नगर कोलियरी के कामरेड दोमन दोशद तथा सीतापुर कोलियरी के कामरेड आफताब आलम की इंटक के गुंडों ने निर्दयता से हत्या कर दी लेकिन मजदूरों की हड़ताल तोड़ने में नाकामयाब रहे. कोलियरी मालिकान के अनुसार भी ज्यादा से ज्यादा 25 प्रतिशत उत्पादन ही हो सका. दुर्गापुर स्टील प्लांट तथा अलाए स्टील प्लांट में हड़ताल पूरी रही. एम ए एम सी दुर्गापुर में इंटक के गुंडों ने हमलावर रवैया अपनाया जिससे 70 लोग घायल हुए.

सभी मुख्य केंद्रों पर जहां सार्वजनिक क्षेत्र केंद्रित था हड़ताल सफल रही. सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूरों ने शानदार प्रदर्शन और रैलियां आयोजित कीं. बंबई की सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों की यूनियनों की समन्वय समिति तथा मद्रास की सभी ट्रेड यूनियनों की समन्वय समिति ने प्रभावशाली प्रदर्शन आयोजित करने के लिए अथक प्रयत्न किए.

गौहाटी की ईस्टर्न जोन इंशोरेंस एंप्लाईज एसोसियेशन ने असम आंदोलन के बावजूद भी हड़ताल को सफल बनाने के लिए अच्छी तैयारियां की. 5 मार्च को एल आई सी तथा जी आई सी कर्मचारियों की हुई संयुक्त बठक में हड़ताल को कामयाब करने के लिए अपना निश्चय व्यक्त किया. नामरूप की हिंदुस्तान फर्टीलाइजर के नेताओं ने हड़ताल का विरोध करने के लिए काफी प्रयत्न किए. लेकिन निचले स्तर के मजदूरों द्वारा अपने निश्चय का इजहार करने के कारण नेताओं को, आल इंडिया फर्टीलाइजर एंप्लाईज फेडरेशन के निर्णय के अनुसार एक दिन के आम आकस्मिक अवकाश का आह्वान करना पड़ा. सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन के मजदूरों ने भी हड़ताल में हिस्सा लिया.

भिलाई स्टील प्लांट के तहत राजहरा लौह-खान खदान में, क्षेत्र में आंतक का वातावरण फैले रहने के बावजूद भी हड़ताल कामयाब रही.

11 मार्च की हड़ताल भारत सरकार के लिए एक चेतावनी है कि मजदूर वर्ग अपने जीवन स्तर पर होने वाले हमलों को अनदेखा नहीं होने देगा. सार्वजनिक क्षेत्र कमचारियों की इस सांकेतिक हड़ताल के प्रदर्शन से साफ जाहिर है कि एकता और संघर्ष के लिए मजदूर वर्ग में चेतना बढ़ने लगी है.

बंगलोर के संयुक्त कार्यवाही मोर्चे ने 11 मार्च के तुरंत बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली. यह बड़े खेद की बात है कि इस मोर्चे के नेताओं ने बंगलोर की सीटू और बी एम एस की यूनिटों से कोई परामर्श नहीं लिया और इस हड़ताल में शामिल अन्य यूनिटों से भी इस मुद्दे पर सही परामर्श नहीं लिया.

बंगलोर स्थित उद्योगों के मजदूरों ने शानदार संघर्ष किए और उनकी 80 दिन पुरानी हड़ताल एक जबरदस्त लड़ाकू संघर्षों में से एक है. हालांकि पूरी मांगें प्राप्त किए बगैर ही हड़ताल वापस ले ली गई लेकिन इन उद्योगों के मजदूर सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ रोष समेट कर ही अपने काम पर वापस लौटे हैं. यहां तक की सरकार ने भी कहा है कि हड़ताल को वापस लेने के 10 दिन बाद भी इन यूनिटों में अभी तक नियमितता नहीं आई है. □

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा सार्वजनिक उद्योगों के हड़तालियों को बधाई

सीटू सचिव एम. के. पंधे, एटक के महासचिव इंद्रजीत गुप्ता, एच एम एस के महासचिव शांति पटेल, बी एम एस के सचिव ओ. पी. आगी तथा इंटक अध्यक्ष जे. एस. दारा ने 11 मार्च को निम्नलिखित संयुक्त बयान जारी किया है :

हम, बंगलोर स्थित उद्योगों के मजदूरों की 75 दिन पूरानी हड़ताल, एल आई सी तथा रेल के संघर्षरत कर्मचारियों के समर्थन में तथा देश भर में मजदूर वर्ग के ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के 15 लाख कर्मचारियों द्वारा केंद्रीय टेड यूनियनों तथा नेशनल फेडरेशनों के आह्वान पर आज काम बंद करने पर, बधाई देते हैं.

अधुरी सूचनाओं के अनुसार बैंक, एल आई सी, जी आई सी, तेल, आई टी डी सी, जहाजरानी, टेलीप्रिंटर तथा अन्य उद्योगों में संपूर्ण हड़ताल रही जबकि इस्पात, कोयला, एन टी सी, इंजीनियरिंग तथा अन्य उद्योगों में हड़ताल काफी हद तक सफल रही. केंद्र तथा राज्य सरकार कर्मचारी तथा रेल कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में अनेक जगहों पर प्रदर्शन आयोजित किए.

हम सरकार से, मजदूरों के साथ भेदभावपूर्ण रवैये को छोड़ने तथा बंगलोर स्थित उद्योगों में हड़ताल को बातचीत के जरिए हल करने, एल आई सी और जी आई सी कर्मचारियों के खिलाफ क्रूरतापूर्ण रवैये को खत्म करने, निकाले गए तथा जबरदस्ती सेवा-निवृत्त किए गए रेल कर्मचारियों को पुनः काम पर लेने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खात्मे का अनुरोध करते हैं.

हम हड़ताल के दौरान प्राप्त की गयी एकता को मजबूत बनाए रखने तथा यदि सरकार अपना मजदूर-विरोधी रवैया कायम रखती है तो आगे की कार्यवाहियों के लिए तैयार रहने का मजदूर वर्ग का आह्वान करते हैं.

२३ मार्च को नई दिल्ली में ट्रेड यूनियनों की एक बैठक में आगे के लिए कार्यवाहियों का निर्णय लिया जाएगा. □

दवा उद्योग पर अखिल भारतीय सम्मेलन

दवा उद्योग पर अखिल भारतीय सम्मेलन, आल इंडिया केमिकल एंड फार्मेस्यूटिकल एंप्लाईज फेडरेशन द्वारा 1 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. सम्मेलन में उद्योग के अनेक मुद्दों पर बहस की जाएगी और बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों द्वारा जनता के शोषण पर प्रकाश डाला जाएगा. सम्मेलन में, भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के खिलाफ संघर्ष चलाने के बारे में तय किया जाएगा. □

बंबई में राज्य विधान सभा पर एक लाख से भी ज्यादा का प्रदर्शन

समूचे महाराष्ट्र से एक लाख से ज्यादा किसान, मजदूर और कृषि मजदूरों ने वामपंथी तथा जनवादी मोर्चे के नेतृत्व में 3 मार्च को राज्य विधानसभा के बाहर एक विशाल मोर्चा आयोजित किया. मोर्चा, मजदूर-किसान एकता का एक जबरदस्त तथा प्रेरक प्रदर्शन था. इसकी मुख्य मांगों में कृषि उत्पादन का उचित मूल्य, कृषि मजदूरों को 7 रुपये प्रतिदिन का न्यूनतम वेतन, कृषि उत्पादन की सारी व्यवस्था सरकार द्वारा करवा, कीमतें कम करना, सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण कम कीमतों पर उचित दर दुकानों से करवा, राज्य यातायात तथा रेल भाड़े में कीमत-वृद्धि कम करना, आदि मांगे शामिल हैं.

महाराष्ट्र में बामपंथी तथा जनवादी मोर्चे में सी पी आई (एम), सी पी आई, पी डब्ल्यू पी, जनता, लोकदल, समाजवादी मंच, तथा आर पी आई शामिल हैं.

सीटू यूनियनों से संबंधित अनेक मजदूरों ने मोर्चे में हिस्सा लिया. श्रमिक महिला संघ, एस एफ आई, डी वाई एफ आई ने भी मोर्चे में हिस्सा लिया. जुलूस को 12 किलोमीटर का अंतर तय करने में 4 घंटे लगे.

विधानसभा के बाहर शाम 4 बजे मोर्चे ने आम सभा का रूप धारण कर लिया. पुलिस ने बहुत कड़ा बंदोबस्त किया जैसा पहले कभी नही नही देखा गया था. यह मोर्चा बंबई के इतिहास में एक प्रभावशाली मोर्चा रहा. स्वागत समिति के अध्यक्ष शांति पटेल ने सभा की अध्यक्षता की और शरद पवार, गोदावरी परुलेकर, आर. ए. पाटील, जार्ज फर्नांडिस, ए.बी. बर्धान, विठ्ठलराव हंदा, मृणाल गोरे. और एस. एम. जोशी ने इसको संबोधित किया. आगे की कार्यवाही वामपंथी तथा जनवादी मोर्चे द्वारा बाद में तय की जाएगी. □

कलकत्ता में नाविकों की सफल हड़ताल

कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाहों में फारवर्ड सीमेंस यूनियन आफ इंडिया (सीटू) द्वारा की गई 13 दिन पुरानी हड़ताल, कलकत्ता में इसके प्रतिनिधियों और मुख्य मंत्री ज्योति बसु के बीच हुई एक वार्ता के बाद 24 मार्च को यूनियन द्वारा वापस ले ली गई. हड़ताल के कारण 28 जहाजों को बंदरगाह में रुकना पड़ा था.

देश की बंदरगाहों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए जहाजरानी मंत्री द्वारा गठित विशेषज्ञ कमेटी से उस दिन मुख्य मंत्री ने मुलाकात की. ज्योति बसु ने, कमेटी से कलकत्ता स्थित नाविकों की समस्याओं और खासतौर से उनकी दीर्घकालीन बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान देने को कहा. यूनियन, 11 मार्च से, कलकत्ता स्थित नाविकों के लिए 700 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता या 10 महीने के काम की गारंटी की मांग के लिए हड़ताल पर गई थी.

एफ एस यू आई की वर्किंग कमेटी के निर्णयों के अनुसार, बेरोजगार और रोजगार-प्राप्त नाविक, अपनी मांगों के समर्थन में, बंदरगाहों में जहाजों पर तथा भारत सरकार के जहाजरानी दफ्तरों के अंदर दोनों जगहों पर 'घरना' जैसे लगातार संघर्ष कर रहे थे.

एफ एस यू आई के महासचिव आशुतोष बनर्जी ने 5 मार्च को एक बयान में कहा कि पंजीकृत बेरोजगार नाविक अपना संघर्ष तब तक जारी रखेंगे जब तक उन्हें जहाजरानी मंत्रालय द्वारा सीफेयरर्स वेल्फेयर्स फंड सोसायटी का 80 करोड़ रुपये एकत्रित फंड का इस्तेमाल पंजीकृत बेरोजगार नाविकों की सुविधाओं के लिए किए जाने का लिखित आश्वासन नहीं मिलता. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय कलकत्ता स्थित नाविकों की जिंदगियों से लगातार खिलवाड़ करेगा, और खासतौर से एक तरफ तो एन एस यू आई के गुंडों से हमले करा-कर और दूसरी ओर बेरोजगार भारतीय नाविकों की समस्याओं को सुलझाने के बजाए झूठे प्रचार करके, तो मौजूदा तनावपूर्ण वातावरण बेकाबू हो जाएगा. □

जम्मू-कश्मीर सरकारी कर्मचारियों का सम्मेलन

जम्मू और कश्मीर के सभी विम्ब-वेतन सरकारी कर्मचारियों की फेडरेशन ने 6 और 7 मार्च को जम्मू क्षेत्र का दो दिन का सम्मेलन जम्मू में आयोजित किया जिसमें जम्मू क्षेत्र से 700 प्रतिनिधियों ने और काश्मीर क्षेत्र से 125 प्रतिनिधियों ने भाग लिगा.

सम्मेलन की शुरुआत एक जबरदस्त जुलूस से की गई जिसका नेतृत्व फेडरेशन के अध्यक्ष संपत्त प्रकाश तथा पंजाब सब-आर्डिनेट सर्विसेस फेडरेशन के अध्यक्ष टी. एस. राणा ने किया. टी. एस. राणा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया. संपत्त प्रकाश ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया. सम्मेलन में महंगाई के खिलाफ, पे कमीशन की रिपोर्ट को जल्दी पेश करने तथा पूरे ट्रेड यूनियन अधिकार प्रदान करने आदि के लिए कई प्रस्ताव अपनाए गए.

सम्मेलन ने सर्वसम्मति से संपत्त प्रकाश को अध्यक्ष तथा एम. के. भट्ट को महासचिव चुना. □

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र
एक प्रति की दर पचास पैसे
वार्षिक चंदा छः रुपये
एजेंसी कम से कम 5 प्रतियों की.
मिलने का पता :

सीटू कार्यालय
6, तालकटोरा रोड,
नयी-दिल्ली-110001

टिस्को के ठेका मजदूरों की हड़ताल में सरकारी हस्तक्षेप की सीटू द्वारा मांग

सीटू अध्यक्ष बी टी रणदिवे ने 9 मार्च को निम्नलिखित बयान जारी किया:

केंद्र और राज्यों द्वारा इस विवाद में प्रभावशाली ढंग से हस्तक्षेप करने से इंकार करने से टिस्को के 10,000 ठेका मजदूरों की एक महीना पुरानी हड़ताल आगे जारी है.

टिस्को में काम करने वाले ठेका मजदूर कई सालों से स्थायीकरण की मांग कर रहे थे क्योंकि वे स्थायी और नियमित काम कर रहे थे. हालांकि टिस्को मालिकान ने एक राष्ट्रीय द्विपक्षीय समझौते में ठेका मजदूर प्रणाली खत्म करने का वादा किया था लेकिन इसके बावजूद इंटक से संबंधित टाटा वर्कर्स यूनियन के साथ सांठगांठ करके वे इसको लागू करने से आनाकानी कर रहे हैं.

मालिकान ने टिस्को कर्मचारी यूनियन (सीटू) की सारी कार्यकारिणी बर्खास्त कर दी है और जमशेदपुर शहर में आतंक का वातावरण फैला दिया है. बिहार पुलिस ने हड़ताली मजदूरों को डराने के लिए 400 से ज्यादा मजदूरों को गिरफ्तार किया.

पश्चिम बंगाल की वाम-मोर्चा सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए टिस्को के ठेका मजदूरों को नियमित कर दिया है. इसका कोई कारण नहीं है कि बिहार सरकार टिस्को में ऐसे कदम क्यों नहीं ले सकती है.

सीटू टिस्को के ठेका मजदूरों को देश के बड़े घरानों के खिलाफ सीटू और एटक के नेतृत्व में एक एकजुट संघर्ष चलाने के लिए मजदूरों को बधाई देती है.

सीटू केंद्र और बिहार सरकार से मजदूरों के हित में फौरी हस्तक्षेप करने का आग्रह करती है जिससे बिना किसी देरी के हड़ताल का लाभदायक समझौता हो सके. □

ट्रेड यूनियन नेता की मृत्यु

नगर रक्षा वाहिनी, इंटक तथा झारखंड गुंडा तत्वों की सहायता से टाटा प्रबंधकों ने 14 फरवरी को मजदूरों को भयभीत करने के लिए फैक्ट्री के अंदर प्रदर्शन आयोजित किए. शाम को शांति बनाए रखने के बहाने से मजदूरों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें निर्दयता से पीटा गया और कामगार महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया.

स्वर्गीय कामरेड केदार दास तथा मानस मुखर्जी के नेतृत्व में हजारों मजदूरों ने इसके खिलाफ उपायुक्त के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किए. वे लेबर रिसर्च इंस्टीच्यूट गए जहां केंद्रीय मंत्री पी. मुखर्जी द्वारा एक सेमिनार का उद्घाटन किया जा रहा था. शांतिपूर्ण मजदूरों पर गुंडा ताकतों द्वारा पत्थर फेंके गए. पुलिस ने उनपर लाठीचार्ज किया और मुख्य सुरक्षा अफसर श्याम सुंदर सिंह ने मजदूरों पर गोली चलाई. अनेक मजदूर घायल हुए और कामरेड दास की बाद में जख्मों के कारण मृत्यु हो गई, हजारों मजदूर कामरेड दास की शव यात्रा में शामिल हुए.

इस दौरान, मजदूरों ने 26 फरवरी को जमशेदपुर दिवस और 16 मार्च को ठेका मजदूर प्रणाली के खिलाफ दिवस मनाया. 17 मार्च को पटना में, जमशेदपुर के मजदूरों के समर्थन में प्रदर्शन किए गए. □

बिहार सीटू कमेटी की बैठक

सीटू की बिहार राज्य कमेटी की बैठक 2 मार्च को हुई जिसमें कामरेड केदार दास की मृत्यु के संबंध में और सारी घटना की न्यायिक जांच, ठेका मजदूर प्रणाली के खात्मे, मुअत्तिल और बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को पुनः काम पर लेने की मांग की गई.

इसने, पुलिस दमन और 2 मार्च को ठेका मजदूरों के संघर्ष के समर्थन में किए गए प्रदर्शन में के. के. त्रिपाठी, टी. एन. सिंह और अनेक मजदूरों की गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की. इसने, एल आई सी, जी. आई. सी., सार्वजनिक क्षेत्र तथा लोको रनिंग कर्मचारियों के संघर्षों का समर्थन किया और 11 मार्च को हड़ताल करने का मजदूरों का आह्वान किया. इसने, दिल्ली में 26 मार्च को हुई किसान रैली में भाग लेने के लिए भी मजदूरों का आह्वान किया था. □

अखिल भारतीय कोयला मजदूरों का कनवेंशन

अखिल भारतीय कोयला मजदूरों का कनवेंशन 4 से 5 अप्रैल को बर्न्स क्लब, रानीगंज में आयोजित किया जाएगा. सीटू से संबंधित और इसके साथ सहयोग करने वाली सभी कोयला खदान क्षेत्रों की यूनियनों से लगभग 250 प्रतिनिधि कनवेंशन में भाग लेंगे. बी. टी. रणदिवे कनवेंशन का उद्घाटन करेंगे.

सीटू सचिव एम. के. पंधे कनवेंशन में एक आम रिपोर्ट पेश करेंगे. सीटू उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, ज्योति बसु 5 अप्रैल को खुले अधिवेशन को संबोधित करेंगे.

कनवेंशन में, कोयला उद्योग के संकट तथा सी. आई. एल. प्रबंधकों द्वारा मजदूरों पर बढ़ते हमलों के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा. 6 अप्रैल को कोयला मजदूरों की कार्य-दशा तथा रहन-सहन के हालात कोयला खदानों में सुरक्षा के अपर्याप्त साधन तथा कोयला खदानों में आधुनिकीकरण के कारण बढ़ती बेरोजगारी के बारे में कनवेंशन में विचार किया जाएगा. कोयला खदान मजदूरों द्वारा सामना किए जाने वाले महत्वपूर्ण मसलों के हल के लिए एक अखिल भारतीय एकजुट आंदोलन चलाने के प्रश्न पर भी इसमें विचार किया जायगा. □

माइको फैक्ट्री के निकट गुंडागर्दी

माइको एंप्लाईज एसोसिएशन, एक स्वतंत्र यूनियन, मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (माइको) में एक अकेली मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन है जिसके 5,900 सदस्य हैं. कंपनी में अफसरान सहित कुल 7,000 कर्मचारी काम करते हैं. कर्नाटक सीटू के अध्यक्ष एस. सूर्यनारायण राव इसके अध्यक्ष हैं.

यूनियन को हथियाने के लिए एक कांग्रेस (इं) एम. पी., एफ. एम खान और हरी प्रसाद ने 7 मार्च को इंटक के तत्वाधान में बंगलोर में एक बैठक को संबोधित किया और यह तय किया गया कि एस. एस. राव को शारीरिक तौर से हटा दिया जाए और अन्य पदाधिकारियों के जबरन इस्तीफे ले लिए जाएं.

एसोसिएशन की आम सभा एसोसिएशन के अहाते में 9 मार्च को होनी थी. लेकिन पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगाई गई सेक्शन 35 के बहाने इजाजत न दिए जाने के कारण इसे रद्द कर दिया गया. जब यूनियन नेता इस फैसले को मजदूरों को बताने में लगे थे तब गुंडों ने उनपर हमला किया और कार्यालय को अस्त व्यस्त कर दिया तथा फाइलें आदि नष्ट कर दीं. ज्यादा बड़े हमले और जान के खतरे के कारण नेता वहां से चले गए. पुलिस की तीन प्लाटून वहां तैनात की गई थी और पुलिस ने मजदूरों को संरक्षण देने की बजाए गुंडों को मनमर्जी करने की पूरी छूट दी.

एसोसिएशन के प्रथम उपाध्यक्ष को गुंडों ने मीटिंग शुरू करने और अध्यक्ष को हटाये जाने की घोषणा करने के लिए कहा. जब उसने ऐसा करने से इंकार किया तो गुंडों ने उसे मारा-पीटा और एफ. एम. खान तथा इंटक समर्थक नारे लगाए. उसके बाद अन्य मजदूरों को लाठियों और लोहे की छड़ों से बुरी तरह पीटा गया जबकि पुलिस मूक दर्शक बनी यह सब लिखित याचिका देने पर भी देखती रही. पुलिस की प्रबंधकों व कांग्रेस (इं) के गुंडों के साथ नंगी सांठ गांठ इससे सिद्ध होती है कि एक सब-इंस्पैक्टर ने प्रथम उपाध्यक्ष को त्यागपत्र पर यह कहकर हस्ताक्षर करने को कहा कि इस पत्र में उपाध्यक्ष द्वारा पुलिस सहायता के लिए अनुरोध करना लिखा गया है.

एसोसिएशन के नेताओं ने बंगलोर पुलिस कमिश्नर को लिखे गए एक पत्र में गुंडा गतिविधियों और पुलिस के पक्षपात पूर्ण रवैये का कड़ा विरोध किया है. पदाधिकारियों को कत्ल करने व उनपर हमले करने तथा आम ट्रेड यूनियन कार्य में रूकावटें डालने की साजिश के बारे में सूचना देते हुए उन्होंने पुलिस कमिश्नर से अनुरोध किया कि उन्हें संरक्षण दिया जाय. एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने द्वितीय उपाध्यक्ष पी. एच. नरसिमैयाह को एसोसिएशन विरोधी और फौजदारी गतिविधियों के कारण मुअत्तिल कर दिया है. □

रेल समाचार

[पृष्ठ छः से आगे]

नियम 14 (ii) के राहत फैसला रद्द

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 मार्च को अपने फैसले में एस. सी. घोष, डिवीजन सचिव, ट्रेक्शन वर्कर्ज एसोसिएशन. आद्र (एस. ई. आर.) को सितंबर 1979 में निकाले जाने का आदेश रद्द कर दिया हैं और रेलवे अधिकारियों से कहा है कि उसे पिछला वेतन दिया जाए. इस आदेश का अधिकारियों ने कभी तक पालन नहीं किया है. □

दि वर्किंग क्लास

सी आई टी यू का अंग्रेजी मासिक

वार्षिक चंदा छः रुपये

एक प्रति की कीमत 50 पैसे

मिलने का पता—

सी. आई. टी. यू. कार्यालय

6 तालकटोरा रोड,

नई दिल्ली-110001

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1980		
	नवं	दिसं.	जन.
बिहार			
जमशेदपुर	389	379	378
झारिया	392	382	386
कोडर्मा	430	426	425
मोंघाइर	444	426	430
नोआमुंडी	391	377	381
गुजरात			
अहमदाबाद	381	377	385
भाव नगर	418	408	412
हरियाणा			
यमुना नगर	445	432	439
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	408	421	426
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	419	424	432
भोपाल	410	413	420
ग्वालियर	430	423	428
इंदौर	428	428	442
महाराष्ट्र			
बंबई	402	408	409
नागपुर	405	404	411
शोलापुर	419	422	435
पंजाब			
अमृतसर	442	425	425
राजस्थान			
अजमेर	432	433	437
जयपुर	448	443	452
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	402	405	404
सहारनपुर	419	414	422
वाराणसी	470	475	480
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	428	423	422
कलकत्ता	397	379	379
दार्जीलिंग	352	343	341
हावड़ा	383	375	370
जलपाइगुरी	349	332	331
रानीगंज	414	410	406
दिल्ली	436	430	434
भारत	411	408	411

औद्योगिक विवाद कानून में संशोधन की आवश्यकता

औद्योगिक विवाद कानून के भाग 2 (एस) में कामगार की परिभाषा दी गई है. औद्योगिक विवाद (संशोधन व विविध धारा) कानून 1956 के तहत संशोधन किए जाने से पूर्व इस कानून के भाग 2 धारा (एस.) में इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है.

'कामगार' से तात्पर्य किसी भी उद्योग में कार्यरत किसी भी व्यक्ति (या शिक्षार्थी) से है जो कुशल या अकुशल शारीरिक कार्य या लिपिक कार्य मजदूरी या इनाम की एवज में करता है और इस कानून के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए एक औद्योगिक विवाद के संबंध में निकाला गया कामगार शामिल है लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो राज्य की जल सेना, थल सेना या वायुसेना में काम करता है."

इस परिभाषा से जाहिर है कि कामगार से अर्थ किसी भी उद्योग में कुशल या शारीरिक अकुशल या लिपिक स्तर के काम करने वाले किसी भी व्यक्ति (या शिक्षार्थी) से है जो मजदूरी या इनाम के एवज में काम करता है. ऊपर हवाला दिए गए संशोधन कानून के बाद इस परिभाषा में दो अन्य प्रकार के कामगारों को भी शामिल किया गया है—वे कामगार जो निरीक्षण का काम करते हैं.

ऊपर दी गई परिभाषा तथा संशोधन द्वारा इसमें किए गए विस्तार से जाहिर है कि इसका उद्देश्य कामगार के अर्थ को इतना विस्तृत बनाना है जिससे कि धारा में दी गई चार श्रेणियों को छोड़ किसी भी उद्योग में काम कर रहे सभी मजदूरों को कामगार माना जाए.

इस संदर्भ में ऊपर हवाला दिए गए संशोधन को लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि विभिन्न अदालतें व अधिकरण 'कामगार' को परिभाषित करते हुए अलग-अलग मत दे रहे थे. उदाहरण के लिए सिपसन एड कंपनी लि० बनाम मार्टिन (1) के मामले में फोरमैन को कामगार नहीं माना गया जबकि रे बनाम फोर्ड मोटर कं० (2) में फोरमैन को कामगार की परिभाषा में शामिल किया गया. इसी प्रकार फोर्ड मोटर स्टाफ यूनियन बनाम दि फोर्ड कंपनी आफ इंडिया लि० (3) में यह फैसला किया गया कि कुछ फोरमैन कामगार हैं किंतु कुछ अन्य फोरमैन जो निरीक्षण का काम करते हैं कामगार की परिभाषा में शामिल नहीं होते.

यू.पी. बैंक एंप्लाईज यूनियन, कानपुर बनाम हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक (4) के मामले में यह माना गया कि बैंक का सब-एजेंट कामगार नहीं है. किंतु मदन गोपाल बनाम हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड (5) के केस में बैंक के सब-एजेंट को कामगार करार दे दिया गया. इसी प्रकार इराया चीनी मिल बनाम कालिका प्रसाद (6) तथा एम. ए. मजलसर बनाम जनरल मोटर्स इंडिया लिमिटेड (7) के केसों में यह फैसला किया गया कि फोरमैन कामगार नहीं है.

इसी प्रकार जहां नशनल टोबेको कंपनी आफ इंडिया बनाम हफीज अहमद (8) में सेल्जमैन को कामगार माना गया क्योंकि सेल्जमैन लिपिक स्तर का काम भी करते हैं वहां बिमल ग्लास वर्क्स बनाम जी. डी. चावले (9) में सेल्जमैन को कामगार स्वीकार नहीं किया गया.

ऊपर हवाला दिए गए फैसले श्रम अपील अधिकरण ने किए थे. इस सवाल पर विभिन्न हाई कोर्टों द्वारा दिए गए फैसलों में भी अंतर्विरोध पाया गया. नीचे हम इस प्रकार के कुछ फैसलों का हवाला दे रहे हैं—

लक्ष्मी देवी शुगर मिल्ज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (10) के मामले में यह फैसला दिया गया कि डाक्टर व कंपाउंडर कामगार हैं किंतु दिमाकुची चाय बागान के कामगार बनाम प्रबंधक (11) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि असिस्टैंट मेडिकल आफीसर कामगार नहीं है.

मद्रास हाई कोर्ट ने एक ही प्रकार के मामले पर परस्पर-विरोधी फैसले दिए. इसने जनाब एस. अहमद हुसैन एंड संज बनाम यूनाइटेड बीड़ी वर्कर्ज यूनियन (12) में बीड़ी मजदूरों को कामगार मानने से इंकार कर दिया किंतु टी. एम. अब्दुल्ला रहीम एंड कंपनी नार्थ आरकाट जिला बीड़ी वर्कर्ज यूनियन

(13) में बीड़ी मजदूरों को कामगार करार दे दिया. इसी प्रकार चिनियार (14) के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि साबुन फैक्ट्री में काम करने वाले बढ़ई कामगार हैं किंतु इसी फैसले में आगे कहा गया कि साबुन में काम करने वाले अस्थाई मजदूर जो टिन पेंट करते हैं कामगार नहीं हैं.

'कामगार' शब्द की परिभाषा में एकरूपता लाने के लिए 1956 में भाग 2 (एस.) में संशोधन किया गया. अपने संशोधित रूप में यह भाग इस प्रकार है·

(एस) "कामगार से तात्पर्य किसी व्यक्ति (या प्रशिक्षार्थी) से है जो किसी उद्योग में कुशल या गैर-कुशल स्तर का शारीरिक, निरीक्षक, तकनीकी या लिपिक प्रकार का काम मजदूरी या इनाम के एवज में करता है भले ही उसके रोजगार की शर्तें लिखित रूप में बताई गई हों या मौखिक रूप में जाहिर हों, और इस कानून के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए एक औद्योगिक विवाद के संबंध में ऐसा व्यक्ति शामिल है जो उस विवाद के कारण बर्खास्त कर दिया गया है या निकाल दिया गया है या उसकी छंटनी कर दी गई हो, या जिसके बर्खास्त करने, निकाले जाने या छंटनी के कारण वह बिवाद पैदा हुआ हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है :

(i) जो आर्मी कानून 1950 (1950 का XLIV), एयर फोर्स कानून 1950 (1950 का XLV) या

नेवो (डिसिप्लिन) कानून 1934 (XXXIV 1934 का) के अंतर्गत आता हो या

(ii) जो पुलिस कर्मचारी अथवा अफसर हो अथवा किसी व्यक्ति का कर्मचारी हो या

(iii) जो प्रबंधकीय या प्रशासकीय स्तर का कर्मचारी हो या

(iv) जो निरीक्षण किस्म का कर्मचारी हो और प्रति माह 500 रुपये से अधिक मजदूरी पाता हो या अपने काम के स्वरुप के अनुसार प्रबंधकीय स्तर में गिना जाता हो."

कोई यह मान सकता है कि, अलग की गई श्रेणियों को छोड़कर हर कर्मचारी इसके बाद कामगार माना जाएगा और इस धारा की परिभाषा में जो कोई भी कुशल या अकुशल शारीरिक काम, विरीक्षण, तकनीकी, या लिपिक काम मजदूरी या इनाम की एवज में करते हैं उनकी सभी श्रेणियां शामिल होनी चाहिएं.

कानून की धाराओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि कर्मचारियों की जिन श्रेणियों को कामगार की परिभाषा से अलग रखा गया है उन्हें छोड़कर बाकी सभी किस्म के कर्मचारी कामगार की विस्तृत परिभाषा के तहत आते हैं.

किंतु बर्माशैल आईल स्टोर्ज एंड डिस्ट्रिब्यूटिंग कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड बनाम बर्मा शैल मैनेजमैंट स्टाफ एसोसिएशन (16) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसले ने इस धारणा को धक्का पहुंचाया है. अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेल्जमैन किस्म का कर्मचारी धारा 2 (एस.) में दी गई कामगार की परिभाषा में कामगार नहीं माना जा सकता है. अदालत के अनुसार सेल्ज प्रतिनिधि का काम कंपनी की सेल्ज को बढ़ाना व आर्डर लाना है. इस प्रकार के काम से सेल्जमन कंपनी का प्रतिनिधि बन जाता है जो अपने क्षेत्र में कंपनी के हितों की रक्षा करता है और खासतौर से चीजों की अच्छे खासे मुनाफे से बिक्री. इस केस में पैरवी करते हुए श्री चारी ने दलील दी कि धारा 2(एस.) में 'कामगार' की परिभाषा अब बहुत विस्तृत बना दी गई है तथा इसमें दी गई चार श्रेणियों में सही बैठने वाला हर औद्योगिक मजदूर कामगार है. किंतु अदालत का यही कहना था कि सेल्जमैन इनमें से किसी श्रेणी में सही नहीं बैठता क्योंकि किसी कंपनी के उत्पादन के विक्रय को बढ़ाने में सहायता देना इन श्रेणियों में से किसी में नहीं गिना जा सकता. यह काम शारीरिक, लिपिक, तकनीकी या निरीक्षक—इनमें से किसी प्रकार का नहीं है. इसलिए सेल्जमैन कामगार नहीं हैं.

सेल्ज इंजीनियरिंग प्रतिनिधि को भी इसी आधार पर कामगार नहीं माना गया क्योंकि उसका काम भी कंपनी की बिक्री को बढ़ाने में सहायता देना व सलाह देना माना गया. यह वास्तविकता कि इस काम के लिए इंजीनियरिंग प्रतिनिधि के लिए तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है, उसके काम को इस प्रयोजन के लिए तकनीकी काम नहीं बनाता है.

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के पीछे आधार यह बताया गया है कि उद्योगों में काम कर रहे बहुत से कर्मचारी व्यवहार में, इस परिभाषा में निहित काम नहीं करते और इसलिए ऐसे कर्मचारी जो हवाला दी गई चार श्रेणियों में से किसी श्रेणी में फिट नहीं बैठते कामगार नहीं माने जा सकते.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी अपने काम के आधार पर विभाजित हो जाएंगे जो मजदूर आंदोलन की एकता के लिए अच्छा नहीं होगा. साथ ही प्रबंधक यह चाहेंगे कि अधिक से अधिक मजदूर 'कामगार' परिभाषा की परिधि से बाहर रहें व इस उद्देश्य से विभाजन करने के नये आधार ढूंढ निकालेंगे. इस प्रकार अनेक मजदूर इस आधार पर कि उनका काम न तो शारीरिक है, न ही निरीक्षण, तकनीकी है या न ही लिपिक है कामगार नहीं कहलाए जाएंगें और श्रम कानूनों के अंतर्गत अपने हकों व फायदों से वंचित रहेंगें.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसका एक उपाय भी सुझाता है. श्री चारी की दलीलों का जबाब देते हुए अदालत ने कहा कि यदि किसी उद्योग में काम करने वाले सभी मजदूरों (कानून में हवाला दिए गए अपवादों को छोड़कर) को कामगार माना जाता है तो कामगार की परिभाषा में दी गई चार श्रेणियों को हटा दिया जाना चाहिए. यदि ऐसा हो जाए तो कुछ अपवादों को छोड़कर किसी उद्योग के सभी कर्मचारियों को कामगार माना जा सकता है.

देश की सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को चाहिए कि वे सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के संदर्भ में भाग 2 (एस) को दुबारा संशोधित करने के लिए श्रम मंत्रालय पर दबाव डालें. यह पुर्नसंशोधन जरूरी है क्योंकि इसके बिना बड़ी संख्या में मजदूर औद्योगिक विवाद कानून के तहत होने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं .

इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की वामपंथी मोर्चा सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के भाग 2 (एस.) को संशोधित करने के लिए बिल पेश किया है. इस बिल में 'लिपिक कार्य और' शब्दों व 'मजदूरी व इनाम के लिए' शब्दों के बीच विक्रय प्रोत्साहन' जोड़ा है जिससे सेल्स से संबंधित कर्मचारी आ जाऐंगे.

यह सही दिशा में लिया गया एक सराहनीय कदम है.

1. (1951) 2 एल. एल. जे 43
2. (1951) 1 एल. एल. जे. 167
3. (1952) 2 एल. एल. जे. 344= 1953 एल. ए. सी. 497
4. 1952 एल. ए. सी. 533
5. 1953 एल. ए. सी. 65=(1953) 2 एल. एल. जे. 334
6. (1956) 1 एल. एल. जे. 414
7. (1953-54) 5. एफ. जे. आर. 691
8. (1954-55) 7 एफ. जे. आर. 149
9. 1953 एल. ए. सी. 620=(1954)
10. (1956-57) 10 एफ. जे. आर. 298
11. (1955) 2 एल. जे. 1
12. ए. आई. आर. 1958 ए. सी. 353 =(1958) 1 एल. एल. जे. 500
13. (1958) 2 एल. एल. जे. 606
14. (1958) 2 एल. एल. जे. 736
15. (1957) 1 एल. जे. 28
16. ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 9-22=1971 लैब. आई. सी. 699= (1970) 2 एल. एल. जे. 590

□

—अरुण प्रकाश चटर्जी

राजहरा में पुलिस राज

जनवादी तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों का निर्दयतापूर्ण और नंगा दमन तथा किसी यूनियन दफ्तर के अंदर धारा 144 को लागू करने की अभूतपूर्ण घटना मध्य प्रदेश स्थित राजहरा में देखी जा सकती है जहां हिंदुस्तान स्टील एंप्लाईज यूनियन की 21 फरवरी को वार्षिक कानफ्रेंस आयोजित की जा रही थी. पश्चिम बंगाल के विधान सभा सदस्य अबुल हसन मुख्य अतिथि थे.

ठेका मजदूरों के संघर्ष के कारण, प्रशासन ने 11 फरवरी को उस क्षेत्र में धारा 144 लगा दी. यूनियन ने आम सभा और माइक का उपयोग करने के लिए अनुमति मांगी लेकिन राजहरा के एस. डी. एम. ने इसे इंकार कर दिया. लेकिन कानफ्रेंस की पहले से ही तैयारी की गई थी इसलिए कामरेडों ने यूनियन दफ्तर में ही कानफ्रेंस आयोजित करने का निर्णय किया.

21 फरवरी को सुबह 8 बजे, सशस्त्र पुलिस की एक जीप और दो ट्रक सहित एस. डी. एम. श्री गेदाम और दो आई. पी. एस. अफसर यूनियन आफिस पहुंचे और धारा 144 के तहत कानफ्रेंस को खत्म करने का आदेश दिया. अबुल हसन, मध्य प्रदेश सीटू के महासचिव एस. कुमार, यूनियन उपाध्यक्ष पी. के. मोइत्रा और अन्यों ने उन्हें समझाने के कई असफल प्रयत्न किए. उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी गयी और इस प्रकार यूनियन आफिस के अंदर धारा 144 को लागू कर दिया.

इस क्षेत्र में पूरी तरह से पुलिस राज है. लगभग 3 हजार पुलिस कर्मी खदान क्षेत्रों तक में भी तैनात किए गए हैं और सभी यूनियनों के पत्रों को सेंसर किया जाता है. कोई भी यूनियन, पुलिस की इजाजत लिए बगैर कोई भी पर्चा बाजार से टाइप या छपवा नहीं सकती. कोई भी ट्रंक काल नहीं किया जा सकता. ठेका मजदूर गाड़ी या बस से राजहरा से बाहर वहीं जा सकते और यदि वे ऐसा करते पकड़े गए तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किए जाते हैं.

भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधक सभी संभव तरीकों से पुलिस की सहायता कर रहे हैं और ट्रेनिंग सेंटर, रेस्ट हाऊस, कर्मचारियों के रिक्रिएशन क्लब, कम्यूनिटी हाल आदि पुलिस के अड्डे बन गए हैं. ये मजदूर पिछले चार महीनों के वेतन का भुगतान जिसकी राशि 80 लाख के करीब है, के लिए संघर्षरत हैं. इससे पहले, 11 फरवरी को दुर्ग के जिला मजिस्ट्रेट ने यूनियन के नेताओं को वेतन के भुगतान के प्रश्न पर बातचीत करने के लिए बुलाकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया.

सीटू, एटक, एच एम एस और सी एम एम एस यूनियनें, इन कार्यवाहियों के खिलाफ और सभी गिरफ्तार मजदूरों की रिहाई की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर कदम उठाने का विचार कर रहीं हैं. □

विदेशी तेल कंपनियों को ठेके : देश के हितों के खिलाफ

यह समझा जाता है कि भारत सरकार ने 33 विदेशी बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों को निरीक्षण और खुदाई कार्यों के लिए ठेका दिया है जो देश के समुद्री किनारों और समुद्री क्षेत्रों का लगभग 75 प्रतिशत है और ओ. एन. जी. सी. के लिए कार्य करने के लिए केवल 25 प्रतिशत क्षेत्र ही छोड़ा गया है. इन रिपोर्टों पर ध्यान दिलाते हुए ओ एन जी सी मजदूर यूनियन, त्रिपुरा प्रोजेक्ट, अगरतला, के अध्यक्ष अजय बिस्वास ने पेट्रोलियम और केमिकल मंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें देश के दीर्घ कालीन हितों के लिए इन ठेकों को खत्म करने का अनुरोध किया गया है.

ठेके की शर्तों के अनुसार उत्पादित तेल की एक बड़ी मात्रा, ठेका कंपनियों द्वारा नष्ट की जाएगी जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है और खासतौर से वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट के समय में, बिस्वास ने बताया की ओ एन जी सी इस काम के लिए उपयुक्त है उन्होंने कहा कि ये ठेका ओ एन जी सी की कार्यवाहियों पर आघात करेंगे और जिसके कारण रोजगार की सुविधाओं में कमी होगी और वर्तमान कर्मचारियों के अवसरों पर रोक लगेगी. □

दिल्ली की ट्रेड यूनियनों द्वारा 14 अप्रैल को आम हड़ताल का आह्वान

दिल्ली राज्य का संयुक्त ट्रेड यूनियन कनवेंशन 15 मार्च को नई दिल्ली में हुआ जिसमें कनवेंशन में उठाई गई आम मांगों के समर्थन में एक संयुक्त आंदोलन और प्रचार अभियान तथा मीटिंगें, रैलियां आदि आयोजित करने के लिए तथा 14 अप्रैल को एक आम हड़ताल करने के लिए दिल्ली के मजदूर वर्ग का आह्वान किया.

कनवेंशन में अकुशल मजदूरों के लिए 500 रुपये न्यूनतम वेतन, आकस्मिक और ठेका मजदूर प्रणाली का खात्मा, आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित दर पर उचित दर दुकानों पर कराना, मजबूत जन-वितरण प्रणाली, काम करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना और बेरोजगारी भत्ता देना, आदि की मांग की गई. कवर्वेंशन में, सरकार की वेतनजाम नीति और ट्रेड यूनियन तथा जनवादी अधिकारों पर हमलों की कड़ी आलोचना की गई.

कनवेंशन में, सीटू, एटक एच एम एस, बी एम एस, उटक और इंटक (दारा ग्रुप) और बैंक, रिजर्व बैंक, एल आई सी, जी आई सी और समाचार पत्रों की स्वतंत्र फेडरेशनों के कर्मचारियों के 2,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. दिल्ली सीटू के महासचिव सांसद सुशील भट्टाचार्य सहित छः सदस्यों के एक अध्यक्ष-मंडल एवं स्टीयरिंग कमेटी ने इसकी कार्यवाही चलाई. दिल्ली सीटू सचिव जोगेंद्र शर्मा ने मुख्य प्रस्ताव पेश किया. 22 प्रतिनिधियों ने बहस में हिस्सा लिया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से अपनाया गया. □

चटकल मजदूर देशव्यापी अभियान करेंगे

आल इंडिया जूट वर्कर्स फेडरेशन की वर्किंग कमेटी की नई दिल्ली में 19-20 मार्च को एक बैठक हुई. लक्ष्मी सहगल ने इसकी अध्यक्षता की. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश से 28 सदस्यों ने इसमें भाग लिया.

बैठक का उद्घाटन करते हुए सीटू अध्यक्ष बी. टी रणदिवे ने बताया कि छटी पंचवर्षीय योजना जहां एकाधिकारी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तो अनेक सुविधाएं दे रही है वहां संगठित क्षेत्र के मजदूरों पर खासतोर से हमला किया गया है. वर्तमान आर्थिक और राजनैतिक हालात के बारे में बताते हुए उन्होंने अपने देश के खिलाफ साम्राज्यवादी ताकतों की साजिशों के बारे में सदस्यों को सचेत किया.

फेडरेशन के महासचिव, सांसद, निरेन घोष ने अपनी रिपोर्ट पेश की और जूट मजदूरों की समस्याओं के साथ ही किसानों के लिए भी प्रचार करने की सदस्यों से अपील की. संयुक्त महासचिव कमल सरकार ने रिपोर्ट में आगे जोड़ते हुए कहा कि जूट व्यापारी ग्रेड स्केल पर हुए अपने समझौते से मुकर सकते हैं और कार्य भार को बढ़ाने के लिए पहले से ही कई कदम लिए जा रहे हैं.

18 सदस्यों ने बातचीत में भाग लिया जिसमें बताया गया कि पुरानी मशीनों को बदलने के बहाने किस प्रकार आधुनिकीकरण किया जा रहा है. बैठक में दीर्घ कालीन संघर्ष के लिए मजदूरों को तैयार करने के लिए, ग्रेड/स्केल और कार्य-भार में वृद्धि के प्रश्न पर तीन महीने का विस्तृत अभियान और प्रबंधकों को मांग पत्र पेश करते समय एक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया.

कमल सरकार ने फेडरेशन का संविधान मसविदा पेश किया जो कुछ संशोधनों के बाद सर्वसम्मति से अपनाया गया. बैठक में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, लोको रनिंग स्टाफ के विकिटमाइजेशन के खिलाफ तथा जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के संघर्ष के समर्थन आदि पर कई प्रस्ताव अपनाए गए. □

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)
पी. राममूर्ति मनोरंजन राय
नीरेन घोष सुधीन कुमार
एम. के. पंधे (संपादक)

रूस के मेडिकल वर्कर्स यूनियन के नेता सीटू कार्यालय आए

रूस के मेडिकल वर्कर्स यूनियन जिसकी सदस्य संख्या 70 लाख है और जिनमें 90 प्रतिशत महिलाएं है की सेंट्रल कमेटी की अध्यक्षा लीडिया आई. नोवाक के नेतृत्व में एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 26 फरवरी को सीटू कार्यालय में आया. सीटू उपाध्यक्ष और सांसद सुशीला गोपालन, सीटू सचिव, सांसद ई. बालानंदन तथा सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने सीटू के स्टाफ के अन्य सदस्यों सहित प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और विचार-विमर्श किया.

कामरेड नोवाक ने बताया कि मेडिकल वर्कर्स यूनियन, दवा उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ इस साल एक कानफ्रेंस आयोजित करने की तैयारी कर रही है जिसके लिए जल्दी ही एक बैठक बुलाना भी तय किया गया है.

सीटू के प्रतिनिधि ने बताया कि भारत के दवा उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ पहले से ही संघर्ष किए जा रहे हैं और आल इंडिया केमिकल एंड फार्मेस्यूटिकल एंप्लाईज फेडरेशन द्वारा एक राष्ट्रीय कनवेंशन अप्रैल में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. सीटू रूस की मेडिकल यूनियन के साथ इस संदर्भ में पूरा सहयोग देगी.

दोनों पक्षों ने इस विषय में अपने विचारों और प्रकाशनों का आदान-प्रदान भी किया. □

इंजीनियरिंग मजदूरों का कनवेंशन

सीटू से संबंधित इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियनों का पहला अखिल भारतीय कनवेंशन 3-4 मार्च को घूसुरी, हावड़ा में हुआ जिसमें इंजीनियरिंग मजदूरों के 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

पश्चिम बंगाल सीटू के महासचिव मनोरंजन राय ने कनवेंशन का उद्घाटन किया और शांति घटक ने मुख्य रिपोर्ट पेश की. पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम मंत्री कृष्णपद घोष ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया और वामपंथी सरकार की उपलब्धियों और कार्यकुशलता के बारे में जानकारी दी.

कनवेंशन ने इंजीनियरिंग मजदूरों की यूनियनों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति गठित की जिसके संयोजक शांति घटक हैं.

कनवेंशन में, उचित वेतन, कीमत-सूचकांक में वृद्धि की पूरी भरपाई, आवास व चिकित्सा की सुविधाएं, ट्रेड यूनियन और जनवादी अधिकारों के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तथा जीवन बीमा निगम आध्यादेश के खिलाफ, आदि के लिए एक संयुक्त आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया. इसमें अपनी मांगों के समर्थन में एक अखिल भारतीय अभियान और 25 से 30 मई तक एक मांग सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया गया.

कनवेंशन के अंत में 10 हजार लोगों की एक जबरदस्त आम सभा को कृष्णपद घोष, मनोरंजन राय, शांति घटक तथा अन्यों ने संबोधित किया. □

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी-52, 53 डीडीए शैड्स, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित